फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री लोगर बनाम विपक्षी : श्रीमती गमेरी बाई व अन्य

किस्म मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली संख्या : 02/22

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 19.06.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता विपक्षी अनुपस्थित। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा विपक्षी संख्या 22/2 की तरफ से जवाब व विपक्षी संख्या 22/1 की तरफ से वकालत पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अधिवक्ता विपक्षी व विपक्षी संख्या 22/1, 22/2 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 22/1, 22/2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। विपक्षी संख्या 25 द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। विपक्षी संख्या 25 का जवाब का अवसर बंद किया जाता है। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित पैतृक भूमि है जिसमें प्रार्थनाग्रस्त भूमि परिशिष्ट (ख), (ग) के खातेदार उदा पिता वरदा का निर्वसियती लाऔलाद निधन हो जाने से उनका 1/3 हिस्सा उनके भाई अमरा व किशना में हिस्से बराबर से निहित हुआ जिनके वारिसान के खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराई जाने एवं खातेदार उदा पिता वरदा, चुन्नीलाल पिता माना, तोला पिता अमरा एवं लालसिंह पिता तोला का निधन हो जाने से उनके वारिसान की भी खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराये जाने एवं साथ ही बताया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में संयुक्त खाते में दर्ज है। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि पर प्रार्थी अपने हक हिस्से अनुसार काबिज हो काश्त कर रहें है लेकिन विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि का प्रार्थीगण को उनके हक हिस्से अनुसार शांतिपूर्वक काश्त नहीं करने दे रहें है साथ ही विशेष हिस्से को रहन, बेह, बक्षीश आदि तरीको से हस्तान्तरण करने पर आमादा है जिससे विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया।

प्रकरण में प्रथम दृष्टया पाया [illegible] में प्रार्थीगण खातेदार हैं साथ ही प्रार्थनाग्रस्त भूमि संयुक्त खा[illegible] द्वारा प्रार्थनाग्र[illegible] को संयुक्त हिन्दु परिवार की पैतृक भूमि होना बताया है [illegible]ार्थनाग्रस्त भूमि पैतृक [illegible] या नहीं इस तथ्य को मूल वाद में साक्ष्य सबुत के आधार पर ही तय किया जायेगा। [illegible]ार्थीगण द्वारा खातेदार उदा पिता वरदा का लाऔलाद फौत होना बताया जिसके 1/3

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.09.16 15:04:30 IST
Reason: SelfAttested

हिस्से में प्रार्थीगण का हक होने से घोषणा की दाद चाही हैं साथ ही प्रार्थनाग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी होने से मूल वाद में बंटवाडा भी चाहा हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण खातेदार हैं जिससे प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण का हित निहित है जिससे विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाना उचित प्रतित होता है जिससे मूल वाद के निस्तारण तक किसी भी प्रकार के मौके एवं रेकर्ड के परिवर्तन से बचा जा सकें। अतः प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण का हित निहित होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं। अन्य बिन्दुओं का मुल वाद में साक्ष्य सबुत के आधार पर तय किया जायेगा। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति व सुंविधा संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं। उपरोक्त तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किये जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा गोपालपुरा सी पटवार हल्का कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी सवत् 2078–81 की परिशिष्ट (क) की खाता संख्या नया 88 की आराजी नम्बर 343, 345, 346, 347, 348, 349, 350 किता 7 रकबा 1.8400 हैक्टयर भूमि, परिशिष्ट (ख) की खाता संख्या नया 91 की आराजी नम्बर 337, 338, 339, 340, 341, 342, 344, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 411, 412 किता 17 रकबा 2.5600 हैक्टयर भूमि व परिशिष्ट (ग) की खाता संख्या नया 92 की आराजी नम्बर 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 397 किता 26 रकबा 4.7400 हैक्टयर भूमि में विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.09.16 16:04:30 IST
Reason: SelfAttested